न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्रमांक : 17 / 296

पृथ्वी राज बालिग आत्मज जैला उर्फ जयलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बंरूधन तहसील व जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज शंकर जाति बैरवा ।
2. रमेश आत्मज शंकर जाति बैरवा ।
3. हेमराज आत्मज शंकर जाति बैरवा ।
4. पुष्पा बाई बेवा शंकर जाति बैरवा ।
5. चाहन्या पुत्री शंकर जाति बैरवा निवासीगण अल्कोदिया पटवार हल्का गुमानपुरा तहसील व जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 12.01.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला, बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम अल्कोदिया तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 653 / 410 रकबा 04 बीघा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी पर उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे यदि दौराने वाद प्रतिवादी उक्त भूमि पर कब्जा कर ले तो वादी को कब्जा दिलाया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.11.2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 कार्यवाही का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी दिनांक 06.11.2008 को प्रतिवादी को बेचान कर कब्जा संभला दिया था और वादीगण ने सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली थी । तब से ही उक्त भूमि पद प्रतिवादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी को बेचान करने के बावजूद वादी द्वारा उक्त भूमि का दुरूस्तीयन प्रतिवादी के पक्ष में नहीं करवाया जिस पर प्रतिवादी द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम 1 बून्दी के यहॉ उनवान पृथ्वीराज बनाम नन्दकिशोर वाद संख्या 41/13 प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.12.2016 नियत है । माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम 1 में विचाराधीन वाद में उक्त विवादित भूमि के बाबत् संविदा की पूर्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में उक्त वाद को स्थगित किया जाना न्यायोचित होगा जिससे मुकदमे बाजी नही बढे । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अग्रिम कार्यवाही स्थगित फरमाई जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.05.2017 के द्वारा पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण होने तक के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नही आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । वादीगण रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि दिनांक 06.11.2008 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादी अपीलान्ट को बेचान कर सम्पूर्ण भूमि का कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया तब से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर न देकर केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज होना मानते हुए व प्रतिवादी अपीलान्ट के बेचान व कब्जा होने के कथन पर विश्वास न कर सरसरी तौर पर कैम्प कोर्ट में वाद डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान काश्तकारी

की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त के सम्बन्ध में विचाराधीन सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक उभय के जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया है । चूँकि माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 1 में विचाराधीन वाद में उक्त विवादित भूमि के बाबत् संविदा की पूर्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में उक्त वाद को स्थगित किया जाना न्यायहित में उचित होगा । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 निरस्त किया जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/296

पृथ्वी राज बालिग आत्मज जैला उर्फ जयलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बंरूधन तहसील व जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज शंकर जाति बैरवा ।
2. रमेश आत्मज शंकर जाति बैरवा ।
3. हेमराज आत्मज शंकर जाति बैरवा ।
4. पुष्पा बाई बेवा शंकर जाति बैरवा ।
5. चाहन्या पुत्री शंकर जाति बैरवा निवासीगण अल्कोदिया पटवार हल्का गुमानपुरा तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 12/दावा/2011

1. नन्दकिशोर आत्मज शंकर जाति बैरवा ।
2. रमेश आत्मज शंकर जाति बैरवा ।
3. हेमराज आत्मज शंकर जाति बैरवा ।
4. पुष्पा बाई बेवा शंकर जाति बैरवा ।

पुत्री शंकर जाति बैरवा निवासीगण अल्कोदिया पटवार हल्का गुमानपुरा तहसील व जिला बून्दी ।

---वादी

बनाम

पृथ्वी राज बालिग आत्मज जैला उर्फ जयलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बंरूधन तहसील व जिला बून्दी ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017..की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 12.01.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 12.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा